2023/29

फर्द अहकाम

तहसीलदार, जोबनेर बनाम कालू वगै0

न्यायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 2/2023

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12.01.2023	तहसीलदार जोबनेर द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 के अन्तर्गत मौके पर प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली दिनांक 13.01.2023 को पेश हो। 12/01/2023	
	13/01/2023	पटवारी हल्का बोबास उपस्थित। सरकार पैरोकार उपस्थित। सरकार पैरोकार एवं पटवारी हल्का द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 के अन्तर्गत मौके पर प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने हेतु आदेश जारी किए जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार जोबनेर के पत्रांक भू0अ0/2023/205 दिनांक 12.01.2023 तथा संलग्न नक्शा पत्रादि व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्राप्त तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार " ग्राम बोबास के प्रचलित रास्ते" के संबंध में रास्ते से प्रभावित खसरा नं0 954/494 में समस्त खातेदारों/सहखातेदारों की सहमति प्राप्त हुई तथा प्रस्तावित भूमि मौके पर रास्ते के ही उपयोग में आने से राजस्व (ग्रुप—9) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2) राज—6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्व (ग्रुप—6) कमांक प. 3(17)/राज—6/2021/पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के अनुसरण में ग्राम बोबास के खसरा नं0 954/494 रकबा 3.2877 हैक्ट में से रकबा 0.0394 हैक्ट भूमि का मौके पर उपयोग प्रचलित रास्ते में होने से राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने बाबत एवं अलग खसरा नं0 दिये जाकर किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने व खातेदार अधिकारी यथवात रखे जाने संबंधी अनुशंषा तहसीलदार जोबनेर से प्राप्त हुई है। समस्त खातेदारान की सहमति उपरान्त तथा तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रमाणित नक्शा ट्रेस एवं उक्तानुसार प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तावित ग्राम बोबास के खसरा नं0 954/494 के रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं है तथा वर्तमान राजस्व	प0 बोबास रूपनारायण सरपंच ग्राम पंचायत-बोबास पं.स.-जोबनेर (जयपुर)

13/01/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

	13/1/2023	रिकार्ड में किसी भी न्यायालय का स्थगन ओदश चस्पा नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित भूमि के अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश से भूमि के प्रभावित होने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। प्राथमिक तौर पर तहसीलदार द्वारा प्रेषणिय प्रस्ताव में विपरित टिप्पणी नहीं होने तथा पटवारी हल्का बोबास द्वारा भूमि के अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित नहीं होने का अभिवचन किया है। अतः ग्राम बोबास के खसरा नं0 954/494 में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन, विधि/नियमों में प्रतिबंधित भूमियों को छोडकर तथा उपरोक्त खसरा नं0 के संबंध में किसी भी न्यायायल का स्थगन नहीं होने पर, रास्ता काश्तकार की खातेदारी में रखते हुए करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय खुल न्यायालय में सुनाया जाकर पृथक से टंकित कराया गया। तहसीलदार जोबनेर को तहरीर वास्ते राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो। 13/01/2023 उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 4/2023 दायर तारीख :– 12.01.2023

1. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. कालु पुत्र नारायण जाति जाट निवासी पांच्यावाला
2. मितू पुत्र नारायण
3. रामेश्वर पुत्र नारायण
4. सरजू देवी पत्नि कालूराम

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 लेण्ड रेवेन्यू ऐक्ट

उपस्थित :– 1. पटवारी हल्का बोबास

2. पैरोकार सरकार

निर्णय

सरकार पैरोकार एवं पटवारी हल्का द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 के अन्तर्गत मौके पर प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने हेतु आदेश जारी किए जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार जोबनेर के पत्रांक भू0अ0/2023/205 दिनांक 12.01.2023 तथा संलग्न नक्शा पत्रादि व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

"ग्राम बोबास के प्रचलित रास्ते" के संबंध में रास्ते से प्रभावित खसरा नं0 954/494 में समस्त खातेदारों/सहखातेदारों की सहमति प्राप्त हुई तथा प्रस्तावित भूमि मौके पर रास्ते के ही उपयोग में आने से राजस्व (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्व (ग्रुप–6) क्रमांक प. 3(17)/राज–6/2021/पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के अनुसरण में ग्राम बोबास के खसरा नं0 954/494 रकबा 3.2877 हैक्ट में से रकबा 0.0394 हैक्ट भूमि का मौके पर उपयोग प्रचलित रास्ते में होने से राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने बाबत एवं अलग खसरा नं0 दिये जाकर किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने व खातेदार अधिकारी यथवात रखे जाने संबंधी अनुशंषा तहसीलदार जोबनेर से प्राप्त हुई है। समस्त खातेदारान की सहमति उपरान्त तथा तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रमाणित नक्शा ट्रेस एवं उक्तानुसार प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तावित ग्राम बोबास के खसरा नं0 954/494 के रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किसी भी न्यायालय का स्थगन ओदश चस्पा नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित भूमि के अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश से भूमि के प्रभावित होने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। प्राथमिक तौर पर तहसीलदार द्वारा प्रेषणीय प्रस्ताव में विपरित टिप्पणी नहीं होने तथा पटवारी हल्का बोबास द्वारा भूमि के अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित नहीं होने का अभिवचन किया है।

13/01/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

अतः ग्राम बोबास के खसरा नं0 954/494 में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन, विधि/नियमों में प्रतिबंधित भूमियों को छोडकर तथा उपरोक्त खसरा नं0 के संबंध में किसी भी न्यायायल का स्थगन नहीं होने पर, रास्ता काश्तकार की खातेदारी में रखते हुए करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार जोबनेर को तहरीर वास्ते राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः ग्राम बोबास के खसरा नं0 954/494 में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन, विधि/नियमों में प्रतिबंधित भूमियों को छोडकर तथा किसी भी न्यायायल का स्थगन नहीं होने से प्रचलित रास्ता काश्तकार की खातेदारी में रखते हुए राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2023 को टंकित कराकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

13/01/2023

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर